

कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 3611

/शिक्षा-2348/2019/यू0जी0

दिनांक 01 अक्टूबर, 2019


विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-4468/96-आयुष-1-2019-255/2019 आयुष अनुभाग-1 दिनांक 13.08.2019, शासनादेश संख्या-5581/96-आयुष-1-2019-255/2019 आयुष अनुभाग-1 दिनांक 01.10.2019 एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.09.2019 द्वारा बढ़ायी गयी प्रवेश की तिथि के क्रम में प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त आयुष महाविद्यालयों (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ) में शैक्षणिक सत्र-2019-20 हेतु बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में नीट-2019 की मेरिट के आधार पर मॉप-अप काउंसिलिंग की प्रक्रिया www.dirayushupneet.com के माध्यम से आवेदन एवं मॉप-अप काउंसिलिंग की प्रक्रिया सम्पन्न कराया जाना है जिसका कार्यक्रम निम्नवत् है :-

प्रथम चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रवेश पा चुके छात्रों को मान्यता प्राप्त कालेजों में स्थानांतरित करने हेतु तिथि एवं स्थान	05.10.2019
मॉप-अप राउण्ड काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की तिथि	03.10.2019 से 07.10.2019
दिनांक 21.09.2019 से 07.10.2019 तक रजिस्ट्रेशन किये अभ्यर्थी मॉप-अप राउण्ड काउंसिलिंग अभिलेखों का सत्यापन, सीट आवंटन की तिथि	10.10.2019 से 12.10.2019

विस्तृत अनुदेश/निर्देश (विवरण पुस्तिका) वेबसाइट www.dirayushupneet.com पर उपलब्ध रहेगी।

नोट :- काउंसिलिंग स्थल-राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नियर हैनीमन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ।


(प्रो0 एस0 एन0 सिंह)
निदेशक। e